कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ 26 (13) 19/विधि/प्रमुवसं/ 3069–3193 दिनांक 15.4.19

समस्त वनाधिकारीगण,
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः नवनियुक्त राजकीय अधिवक्तागण को विभागीय न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां संभलाने के संबंध में।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12(15)राज/वाद/08/पार्ट दिनांक 6.3.2019 से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले समस्त सिविल मामलों में वन विभाग की ओर से पैरवी करने हेतु श्री दिग्विजय सिंह जसोल(99820–35399), ऐडिशनल गवर्नमेंन्ट काउन्सिल को नियुक्त किया गया है तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 18.3.19 से राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में श्री सैयल जकावत अली(94140–76229) एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल एवं श्री अजय प्रताप सिंह(98294–55833) डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को नियुक्त किया गया है।

विधि विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक एफ 12(2)राज/वाद/19 दिनांक 2.4.19 से आगामी सुनवायी तिथी से पूर्व अथवा अधिकतम 7 दिवस की अवधि में समस्त न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां नवनियुक्त राजकीय अधिवक्ताओं को सम्भलाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि जिन विभागों में दो राजकीय अधिवक्ता नियुक्त हैं उन्हें वर्तमान में लम्बित तथा नवीन दायर होने वाले प्रकरणों का आवंटन सम विषम (odd-even) के क्रम में किया जावे।

अतः राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में विभाग स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि श्री सैयद जकावत अली, अतिरिक्त गवर्नमेन्ट काउन्सिल को सिविल रिट संख्या के अंतिम अंक विषम (odd) संख्या वाले न्यायिक प्रकरण तथा श्री अजय प्रताप सिंह, डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को सिविल रिट संख्या के अंतिम अंक सम (even) संख्या वाले न्यायिक प्रकरण आवंटित किये जावेंगे।

अतः समस्त वनाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां पूर्व में नियुक्त राजकीय अधिवक्ताओं से प्राप्त कर नवनियुक्त एडिशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल श्री दिग्विजय सिंह जसोल को सम्भलायी जावे। तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां पूर्व में नियुक्त अधिवक्तागण से प्राप्त कर उक्त पैरा संख्या 3 में अंकितानुसार नवनियुक्त अधिवक्तागण को संभलायी जाकर संभलायी गयी पत्रावलियों की सूची शीघ्रताशीघ्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(सी. एस. रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हौफ)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः– एफ 26 (13) 19 / विधि / प्रमुवंस / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 मेजर आर.पी. सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
2 श्री दिग्विजय सिंह जसोल, एडिशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
3 श्री सैयद जकावत अली, एडिशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4 श्री अजय प्रताप सिंह, डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

(लोकेश कुमार तिवाड़ी)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी।